निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 30/2017 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 11.11.2019**

<u>अनवान</u>

1. श्री महिपालसिंह पिता जालम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी सेण्डखेडा तहसील देवगढ़

-----वादी

<u>बनाम</u>

1. श्री लुम्बसिंह पिता जेतसिंह जाति रावत आयु 75 साल निवासी सेण्डखेडा तहसील देवगढ़
2. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधी तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----प्रतिवादी

<u>वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम सेण्डखेडा प.ह. लसाणी तह. देवगढ में स्थित खा. न. 9 आ.नं. 12 रकबा 0.03 आ.नं. 17 रकबा 7.16 आ.नं. 27 रकबा 0.05 आ.नं. 43 रकबा 4.04 आ.नं. 55/49 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 5 रकबा 14.13 बीघा व खा.सं. 23 आ. नं. 44 रकबा 4.00 आ.नं. 45 रकबा 1.04 आ.नं. 46 रकबा 3.13 आ.नं. आ.नं. 48 रकबा 0.07 आ.नं. 65/55 रकबा 3.13 बीघा कुल किता 6 रकबा 16.08 बीघा है जो जमाबंदी सं. 2069–2072 में वादी एवं अन्य खातेदारान के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि कि सिंचाई वादी के बाप दादाओ द्वारा खोदे गये कुऐ से सिंचित होती है। उक्त कुआ जो वर्तमान में वादी के स्वामित्व आधिपत्य में है से सिंचाई होती है उक्त कुआ नामी हाथी फाटा वालो का घरा के नाम से जाना जाता है जो सं0 2016 पोस महीना मे वादी के पिता द्वारा खुदवाया गया जिसके प्रमाण में बडवाजी भुपनदर सिंह को भोपतासिंह पिता इन्द्रसिंह मु0 टोकरा पो0 धनगांव तह0 सिंगोली जिला निमच मध्यप्रदेश को लिखतम वादपत्र के साथ संलग्न है जिसमे यह साबित होता है कि उक्त कुआ वादी के बाप दादाओ के समय से उपयोग उपभोग में चला आया है। वादी द्वारा उक्त कुऐ पर जनरेटर लगाकर फसल की पिलाई की जाती है एवं सरकारी योजना के अतंर्गत पाईप लाईन भी डाल रखी है। ड्रीप सिस्टम लगा हुआ है जिससे वादी की खातेदारी भूमि की पिलाई होती है उक्त कुऐ पर वादी का बाप–दादाओ के समय से कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त कुऐ का उपयोग वादी द्वारा निंर्विघ्न रूप से किया जा रहा है। वादी के दादा सोहनसिह पिता इन्द्रसिंह ने आ.नं. 54/49 रकबा 11.03 बीघा भूमि का बेचान जरिये बेचाननामा दिनांक 27.06.1973 को किया उस समय भी कुऐ पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

वादी के पूर्वजो का कब्जा था और वर्तमान मे भी वादी का कब्जा है उक्त कुऐ मे वादी का हक निहित है परन्तु कुआ खातेदारी मे अंकित नही होने से वादी को सिचाई करने मे कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पडता है। वादी का उक्त कुऐ पर लगातार कब्जा होकर उपयोग उपभोग मे चला आया है इसलिये एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी को उक्त कुऐ का खातेदारी अधिकार प्रदान कराया जावे। दिनांक 22.02.2017 को तहसीलदार साहब देवगढ द्वारा प्र.सं. 83/15 में उक्त कुऐ का निरिक्षण किया गया जिसमे भी वादी का हक कुऐ से सिंचाई करना साबित है। प्रतिवादी सं. 1 आये दिन उक्त कुऐ को अपना बताकर वादी को हैरान एवं परेशान करता रहता है और मौके पर अशान्ति पैदा करता है। वादी की फसल पिलाई मे व्यवधान पैदा करता है। प्रतिवादी सं. 1 नाजायज तरीके से वादी के कब्जेशुदा आधिपत्यशुदा कुऐ पर कब्जा करने की नियत से आये दिन धमकियां देता रहता है एवं मौके पर गैर कानूनी गतिविधिया करता रहता है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के उक्त कुआ जो उसके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे एवं वादी उक्त कुऐ को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करा कर अपने तक व अधिकार को सुरक्षित कर लेना चाहता है। उक्त भूमि की जानकारी वादी को रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई कि उक्त भूमि में कुआ बतौर खातेदारी दर्ज नही है। जबकि वर्तमान मे कुआ मुझवादी के पजेशन मे होकर मै वादी उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रेकार्ड मे कुआ मुझ वादी के नाम दर्ज नही होने से मुक्षे कई प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी कामकाज में परेशानियो का सामना करना पडता है अतः वादी का वाद बहक प्रतिवादीगण इस घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि व कुआ जिसपर वादी का कब्जा चला आ रहा है मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषणा के परिणाम स्वरूप वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कराया जावे साथ ही वादी के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी बाधा उत्पन्न नही करे इस हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये प्रत्युत्तर मे प्रतिवादी सं. 1 को सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्की बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर प्रतिवादी सं.1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कियां। पैरोकार सरकार ने जवाब मे दावे अनुसार निर्णय होने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। वकील वादी ने प्रकरण मे कोई शहादत पेश नही की जिस पर वकील वादी की शहादत बंद की गई। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की। विद्वान वकील वादी की बहस के तर्क सुने। वकील वादी ने बह समे तर्क दिया कि ग्राम सेण्डखेडा के खाता नं. 9 ख.नं. 12,17,27,43,55/49 कुल किता 5 रकबा 14.13 बीघा खा.सं. 23 ख. नं. 44 ख.नं. 45 आ.नं. 46 आ.नं. 47 आ.नं. 48 आ.नं. 65/55 कुल किता 6 रकबा 16.08 बीघा भूमि वादी एवं अन्य खातेदारो के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि की सिचाई कुआनामी हाथीफाटा वालो घरा से होती है। सं. 2016 में वादी के पिता ने कुआ खुदवाया जिससे वादी वादी के बाप दादा इसका उपयोग उपभोग करते चले आये है। वर्तमान में इस कुऐ पर जनरेटर लगा हुआ होकर लिाई होती है वादी के दादा सोहनसिंह ने आ.नं. 54/49 रकबा 11.03 बीघा भूमि का बैचान जरिये बयनामा दिांक 27.06.1973 को किया उस सय भी कुऐ पर वादी के पूर्वजो का कब्जा निरन्तर था वर्तमान मे भी वादी का मौके पर कब्जा है। परन्तु कुआ खातेदारी मे दर्ज नही होने से वादी को सिचाई करने में कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पडता है वादी एडवर्स पजेशन के

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आधार पर भी उक्त कुऐ का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सेण्डखेडा प.ह. लसानी तह. देवगढ की भूमि आ.न. 54/49 मे स्थित कुऐ का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करने के आदेश एवं इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वह भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

हमने वादी के वादपत्र नकल जमाबंदी जवाब प्रतिवादी सं. 2 का एवं पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि ग्राम सेण्डखेडा प.ह. लसानी तह. देवगढ मे स्थित खा.नं. 9 ख.नं. 12,17,27,43,55/49 कुल किता 5 रकबा 14.13 बीघा एवं खा.सं. 23 खा.नं. 44,45,46,47,48,65/55 कुल किता 16.08 बीघा भूमि की पिलाई आ.नं. 54/49 में स्थित कुऐ से होती है लेकिन कुआ वादी के नाम रेकार्ड मे दर्ज नही है। वादी इस कुऐ को रेकार्ड मे उसके नाम दर्ज कराना चाहता है। वादी वर्तमान बाजार दर से भूमि की कीमत जमा कराने को तैयार है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सेण्डखेडा प.ह. लसानी तह. देवगढ में स्थित कुआ जो आ.नं. 54/49 मे स्थित है को वादी श्री महिपाल सिंह पिता जालमासिंह राजपूत नि. सेण्डखेडा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि वादी महिपालसिंह से वर्तमान भूमि की किमत अनुसार राशि राज्य कोष मे जमा करा कुआ वादी के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। तद्नुसार डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसला शुमार को नम्बर से कम की जावे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 30/2017 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 11.11.2019**

अनवान

1. श्री महिपालसिंह पिता जालम सिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी सेण्डखेडा तहसील देवगढ़

———वादी

बनाम

1. श्री लुम्बसिंह पिता जेतसिंह जाति रावत आयु 75 साल निवासी सेण्डखेडा तहसील देवगढ़
2. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधी तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रतिवादी

वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू...मिनजानिब मुद्दायलह पे ा हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम सेण्डखेडा प.ह. लसानी तह. देवगढ मे स्थित कुआ जो आ.नं. 54/49 मे स्थित है को वादी श्री महिपाल सिंह पिता जालमासिंह राजपूत नि. सेण्डखेडा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि वादी महिपालसिंह से वर्तमान भूमि की किमत अनुसार राशि राज्य कोष मे जमा करा कुआ वादी के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करे। नीज..मुबलिग...बाबत्..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर..फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख वसूलयाबी तक..का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 11 मास् 11 सन् 2019 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	150	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	153	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर / उपखण्ड

अधिकारी

देवगढ़ जिला–राजसमन्द